

यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला
 न धुडागात्र वार्ड बनाम गौलागात्र वार्ड
 मुकदमा नं. स्व. नि. पे. घा. मुकदमा नं. FT-81/2019 सन् 2019

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
27/06/19	<p>वकील वादीगण श्री बनवारी लाल जांघ ने दायीर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को तस्मी जारि में सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 08/07/2019 को पेश हो।</p>	1035-28 27/6/19
08/07/19	<p>पत्रावली पेश। वकील वादीगण उप. प्रतिवादीगण। ता. 4 की तामील लम्बक रूप से होकर लोडी। आवाज लगाई गई। बोट-बोट आवाज लगाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण दायरा दक्षिणावक उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादीगण। ता. 4 के निलडू हक पक्षीय कर्षनादी दायर में खाई जारी है। पत्रावली वाले साध्य दि. 15/07/19 को पेश हो।</p>	
15/07/19	<p>पत्रावली पेश। वकील वादीगण उप. वकील वादी ने शपथपत्र PW-1, PW-2, PW-3 पेश किए, जो शामिल पत्रानली किए गए। उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर आदेशिका पर प्राप्त किए। पत्रानली दक्षिण कर्षनादी हेतु दिनांक 22/07/19 को पेश हो।</p>	
22/07/19	<p>वकील वादीगण उप. वकील वादीगण को वादपत्र में एक पक्षीय बरस सुनी गई। दौरान</p>	

बहल आदेशवत्ता वादीगण ने मुताबिक अनुतोष
दावा डिकी किया जाने का निर्दिष्ट किया।
बाह्य आदेशार्थ विस्तृत दिनांक 24/07/19
को पेश हो।

24/07/19

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वकील वादीगण
की बहल पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली
पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, मुख्य परिष्कार
स्वागत पेश किए गए शपथ पत्रों का अस्तित्व
किया गया जिससे वादीगण का वाद स्वीकार
किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायाधीश
में स्वीकार किया जाना मुताबिक अनुतोष
दावा डिकी किया जाता है। प्रकरण में
पृथक से विस्तृत निर्णय भेजे द्वारा लिखवाया
जाना शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शमात होकर नम्बर से लम हो
तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/07/19

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला



अनिम - डिग्री मुकदमा इष्वदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जास्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम खण्डेला

व इजलास श्री महीपाल सिंह, RAS

① घुडा राम * वगाम ① गोलाम *

दावा बाबत घोषणा, त्याई निषेधाता व दुकाली रिपोर्ट

मुकदमा नं. 81 सन 2019

यह मुकदमा आज वारते इनफिरसाले कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह, RAS

व हाजिरी श्री बनवारी लाल जांगू मिनजानिव मुद्दे रुबरु


मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तन ग्राम राम नगर प.ह. गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सागर (म.प्र.)
अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 1064 ता 1068, 1120, 1121 लम्बा 2.51 है.
के 1/4 भाग का बांटागण को 1/2 - 1/2 हिस्सा का खतरेदार काश्तकार घोषित
किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व उनके नाओलाय अविवाहित *

निज मुबलिया बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह फीसदी जानना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

वरत्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 07 सन 2019 का जारी की गई।



दस्तखत
सहायक कलक्टर
 ओम्हदा
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान			मीजान		

* ② जीवण

③ फुलचन्द पुत्रगण गौनिन्दा पौत्र नामा जाति जाट नि
पुण तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

बनाम

* पुत्र लाल्या

① बाली देवी पुत्री लाल्या

③ हीराम पुत्र लादू पौत्र लाल्या समस्त जाति जाट नि.
पुण तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

④ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

- उत्तर

* आता मृतक मागील, सुडा राम का नाम उक्त ख.न.
1/4 भाग से हजफ किया जाता है। अतानुसार राज.
रेकोर्ड में अमल दतामद हो।

24/03/19.

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

